

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या-962/छ:-पु0-9-16-31(51)/2002टीसी-I
लखनऊ: दिनांक: 01 जून,2016

कार्यालय-ज्ञाप

स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के लिये प्रस्तावित 'प्लान आफ एक्शन' के सफल कार्यान्वयन, पुनरावलोकन तथा अनुश्रवण के संबंध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-418/छ:-पु0-9-16-31(51)/2002टीसी-I दिनांक: 18 मार्च,2016 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति को परिमार्जित करते हुए एतद्द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में नवीन "उच्च स्तरीय समिति" का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	-अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-सदस्य संयोजक
3.	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि उत्तर प्रदेश शासन	-सदस्य
12.	जोनल डायरेक्टर, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो	-सदस्य
13.	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ	-सदस्य
14.	पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ	-सदस्य
15.	उप नाकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो	-सदस्य
16.	परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी उत्तर प्रदेश	-सदस्य

उक्त के अतिरिक्त समिति की बैठक आयोजित होने पर प्रतिभाग करने हेतु UNODC (United Nations Office on Drugs and Crimes) के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जायेगा।

2- यह समिति पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय समिति" के कार्यों तथा प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा करेगी।

3- इस समिति की बैठक कम से कम 06 माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी।

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

संख्या-962(1) / छः-पु0-9-2016, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि उत्तर प्रदेश शासन।
12. जौनल डायरेक्टर, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो(द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ)।
13. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
14. पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
15. उप नाकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ)।
16. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी उत्तर प्रदेश।
17. निदेशक, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crimes) (द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ)।
18. प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।
19. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।